

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 7/2019

सरकार जर्जे लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल



♠ बनाम ♠

रतीराम पुत्र भैरूलाल वगै० जाति मीणा निवासी कृशिया मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थी

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

दायरा दिनांक: 25.01.2019

निर्णय दिनांक : 25.01.2019

पटवारी हल्का किशनपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जर्जे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्राम कृशिया में खाता संख्या 85 जमाबंदी सम्वत 2074-2077 में खसरा नं० 185 रकबा 0.05 है०, खसरा नं० 363 रकबा 0.82 है०, खसरा नं० 364 रकबा 1.04 है० कुल किता 3 रकबा 1.91 है० भूमि खातेदारान रतीराम, जुगराज पुत्र भैरूलाल व द्वारक्या बाई पुत्री भैरूलाल हि० 1/4 लटूरी बाई पुत्री हीरालाल हि० 1/8 रघुवीर, रामरतन, बुद्धि प्रकाश, किशनलाल, धनराज पुत्रान कालूलाल चन्द्रकलां, अनार नट्टी पुत्रियां कालूलाल शान्ति बाई पत्नि स्व० कालूलाल हि० 1/8 सीताराम राजेन्द्र कुमार हरिशंकर पुत्र सुखपाल हि० 1/4 प्रहलाद पुत्र बिरधा हि० 1/4 कोम मीणा सा० देह के नाम खाते दर्ज है।

मुताबिक सेटलमेंट जमाबंदी सम्वत (2044-63) खसरा नं० 363 का 1.11 है० दर्ज था। जो वर्तमान में लिफ्ट नहर का रकबा कम कर दिये जाने से खसरा नं० 363 रकबा 0.82 है० दर्ज है। तथा खसरा नं० 363/477 रकबा 0.29 है० किस्म गै० मु० नहर सिचाई विभाग के खाते में दर्ज है। मौके पर लिफ्ट नहर खसरा नं० 364 रकबा 1.04 है० में होकर निकली हुयी है। जबकि रकबा खसरा नं० 363 का कम किया गया है। अतः नहर के रकबे की दुरुस्ती हेतु खसरा नं० 363/477 रकबा 0.29 है० किस्म गै० मु० नहर को सिचाई विभाग के खाते में वापिस किस्म नहरी प्रथम दर्ज कर उपरोक्त खातेदारान रतीराम, जुगराज वगैरह के खाते में दर्ज किया जाना है। तथा खसरा नं० 364 रकबा 1.04 है० में से 0.29 है० कम किया जाकर खसरा नं० 364 का रकबा 0.29 है० किस्म गै० मु० नहर दर्ज कर सिचाई विभाग के खाते दर्ज किया जाना है।

उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र जर्जे लैण्ड होल्डर प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 25.01.2019 को दर्ज

अतः प्रार्थना पत्र के समस्त सलंगन दस्तावेजात 1. हाल नकल जमाबंदी 2074-77 खाता संख्या 163 ग्राम कुशिया 2. हाल नकल जमाबंदी 2074-77 खाता संख्या 85 ग्राम कुशिया 3. प्रतिलिपि नक्सा की प्रमाणित प्रति की रोशनी में प्रकरण का भली प्रकार अध्ययन, अवलोकन एवं मनन के उपरान्त आदेश है कि मुताबिक सेटलमेंट जमाबंदी सम्वत (2044-63) खसरा नं० 363 का 1.11 है० दर्ज था। जो वर्तमान में लिफ्ट नहर का रकबा कम कर दिये जाने से खसरा नं० 363 रकबा 0.82 है० दर्ज है। तथा खसरा नं० 363/477 रकबा 0.29 है० किस्म गै० मु० नहर सिचाई विभाग के खाते में दर्ज है। मौके पर लिफ्ट नहर खसरा नं० 364 रकबा 1.04 है० में होकर निकली हुयी है। जबकि रकबा खसरा नं० 363 का कम किया गया है। अतः नहर के रकबे की दुरुस्ती हेतु खसरा नं० 363/477 रकबा 0.29 है० किस्म गै० मु० नहर को सिचाई विभाग के खाते में वापिस किस्म नहरी प्रथम दर्ज कर उपरोक्त खातेदारान रतीराम, जुगराज वगैरह के खाते में दर्ज किया जाना है। तथा खसरा नं० 364 रकबा 1.04 है० में से 0.29 है० कम किया जाकर खसरा नं० 364 का रकबा 0.29 है० किस्म गै० मु० नहर दर्ज कर सिचाई विभाग के खाते राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सु